[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (i)]
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

Notification

New Delhi
Dated the 29th May, 2015

G.S.R. ___ (E). - In exercise of the powers conferred by section 7 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Incorporation) Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Incorporation) Second Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014,-

(a) in rule 12, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that in case pursuing of any of the objects of a company requires registration or approval from sectoral regulators such as Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board, registration or approval, as the case may be, from such regulator shall be obtained by the company before pursuing such objects and a declaration in this behalf shall be submitted at the stage of incorporation of the company.";

(b) rule 24 shall be omitted;

(c) in the Annexure, -

(i) for the existing Form INC-13 and Form INC-16, the following Form INC-13 and Form INC-16 shall respectively be substituted, namely:-

"Form No. INC-13

Memorandum of Association

[See rule 19(2) the Companies (Incorporation) Rules, 2014].

1. The name of the company is "....................".

2. The registered office of the company will be situated in the State of.......................

3. The objects for which the company is established are:

....

....

the doing of all such other lawful things as considered necessary for the furtherance of the above objects :

Provided that the company shall not support with its funds, or endeavour to impose on, or procure to be observed by its members or others, any regulation or restriction which, as an object of the company, would make it a trade union.

4. The objects of the company extend to the ....

[Here enter the name of the State or States, and Country or Countries]

5.(i) The profits, if any, or other income and property of the company, whensoever derived, shall be applied, solely for the promotion of its objects as set forth in this memorandum.

(ii) No portion of the profits, other income or property aforesaid shall be paid or transferred, directly or indirectly, by way of dividend, bonus or otherwise by way of profit, to persons who, at any time are, or have been, members of the company or to any one or more of them or to any persons claiming through any one or more of them.

(iii) No remuneration or other benefit in money or money's worth shall be given by the company to any of its members, whether officers or members of the company or not, except payment of out-of-pocket expenses, reasonable and proper interest on money lent, or reasonable and proper rent on premises let to the company.

(iv) Nothing in this clause shall prevent the payment by the company in good faith of prudent remuneration to any of its officers or servants (not being members) or to any other person (not being member), in return for any services actually rendered to the company.

(v) Nothing in clauses (iii) and (iv) shall prevent the payment by the company in good faith of prudent remuneration to any of its members in return for any services (not being services of a kind which are required to be rendered by a member), actually rendered to the company;

6. No alteration shall be made to this memorandum of association or to the articles of association of the company which are for the time being in force, unless the alteration has been previously submitted to and approved by the Registrar.

7. The liability of the members is limited.

8. [FOR COMPANIES LIMITED BY GUARANTEE]

Each member, undertakes to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up while he is a member or within one year afterwards, for payment of the debts or liabilities of the company contracted

before he ceases to be a member and of the costs, charges and expenses of winding up, and for adjustment of the rights of the contributories among themselves such amount as may be required not exceeding a sum of Rs. ....

[FOR COMPANIES LIMITED BY SHARES]

The share capital of the company will consist of Rs. .... divided into .... shares of .... rupees each.

9. (1) True accounts shall be kept of all sums of money received and expended by the company and the matters in respect of which such receipts and expenditure take place, and of the property, credits and liabilities of the company; and, subject to any reasonable restrictions as to the time and manner of inspecting the same that may be imposed in accordance with the regulations of the company for the time being in force, the accounts shall be open to the inspection of the members.

(2) Once at least in every year, the accounts of the company shall be examined and the correctness of the balance-sheet and the income and expenditure account ascertained by one or more properly qualified auditor or auditors.

****10.** If upon a winding up or dissolution of the company, there remains, after the satisfaction of all the debts and liabilities, any property whatsoever, the same shall not be distributed amongst the members of the company but shall be given or transferred to such other company having objects similar to the objects of this company, subject to such conditions as the Tribunal may impose, or may be sold and proceeds thereof credited to the Rehabilitation and Insolvency Fund formed under section 269 of the Act.

****11.** The Company can be amalgamated only with another company registered under section 8 of the Act and having similar objects.

12. We, the several persons whose names, addresses, descriptions and occupations are hereunto subscribed are desirous of being formed into a company not for profit, in pursuance of this Memorandum of Association:

Names, addresses, descriptions and occupations of subscribers:

1......................................of...................................*
2......................................of...................................*
3......................................of...................................*
4......................................of...................................*
5......................................of...................................*
6......................................of...................................*
7......................................of...................................*

Witnesses to the above signatures of:

1...................................

2...................................

Dated the.................... day of...................20....

*If the association is a company limited by shares, here enter "number of shares" taken by each subscriber.

** Note: Section 8 company which is an Electoral Trust as per the Electoral Trusts Scheme, 2013 read with section 2(22AAA) of the Income-tax Act, 1961 may amalgamate with another section 8 company having the object of an Electoral Trust or may wind up or dissolve only after disbursing all its funds as per the scheme.";

"**Form No. INC-16**

Licence under section 8 (1) of the Companies Act, 2013

[See rule 20 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

WHEREAS it has been proved to my satisfaction that ...., a person or an association of persons to be registered as a company under the Companies Act, 2013, for promoting objects of the nature specified in clause (a) of sub-section (1) of section 8 of the said Act, and that it intends to apply its profits, if any, or other income and property in promoting its objects and to prohibit the payment of any dividend to its members;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 8 of the said Act, I, the Registrar at ...., hereby grant, this Licence, directing that the said person or association or persons be registered as a company with limited liability without the addition of the word "Limited", or as the case may be, the words "Private Limited" to its name, subject to the following conditions, namely:-

(1) that the said company shall in all respects be subject to and governed by the conditions and provisions contained in its memorandum of association;

(2) that the profits, if any or other income and property of the said company, whensoever derived, shall be applied solely for the promotion of the object as set forth in its memorandum of association and that no portion thereof shall be paid or transferred, directly or indirectly, by way of dividend, bonus, or

otherwise by way of profit, to persons who at any time are or have been members of the said company or to any of them or to any person claiming through any one or more of them;

(3) that no remuneration or other benefit in money or money's worth shall be given by the company to any of its members except payment of out-of-pocket expenses, reasonable and proper interest on money lent, or reasonable and proper rent on premises let to the company;

(4) that nothing in this clause shall prevent the payment by the company in good faith of prudent remuneration to any of its officers or servants (not being members) or to any other person (not being member), in return for any services actually rendered to the company;

(5) that nothing in clauses (3), (4) and (5) shall prevent the payment by the company in good faith of prudent remuneration to any of its members in return for any services (not being services of a kind which are required to be rendered by a member), actually rendered to the company;

(6) that no alteration shall be made to the memorandum of association or to the articles of association of the company, which are for the time being in force, unless the alteration has been previously submitted to and approved by the Registrar ;

*(7) The Company can be amalgamated only with another company registered under section 8 of the Act and having similar objects; and

(8) that, without prejudice to action under any law for the time being in force, this Licence shall be liable to be revoked, if the company:

(a) contravenes any of the requirements of section 8 of the Act or the rules made thereunder or any of the conditions

subject to which a Licence is issued;

(b) if the affairs of the company are conducted fraudulently or in a manner violative of the objects of the company or prejudicial to public interest.

....

Registrar

Dated this......................... day of......................20............

* Note: Section 8 company which is an Electoral Trust as per the Electoral Trusts Scheme, 2013 read with section 2(22AAA) of the Income-tax Act, 1961 may amalgamate with another section 8 company having the object of an Electoral Trust or may wind up or dissolve only after disbursing all its funds as per the scheme."

(ii) Form INC-21 shall be omitted.

(File No. 1/13/2013-CL-V)

29/05/2015

(Amardeep Singh Bhatia)
Joint Secretary to the Government of India

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 250 (E) dated the 31st March, 2014 and subsequently amended vide number G.S.R. ...... dated the 1st May, 2015.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 29 मई, 2015

सा.का.नि. **(अ)** - केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (निगमन) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निगमन) दूसरा संशोधन नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में -

(क) नियम 12 में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"परंतुक यह कि जहां किसी कंपनी के किसी उद्देश्य की प्राप्ति के मामलें में भारतीय रिजर्व बैंक, प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जैसे क्षेत्रीय विनियामकों से रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन अपेक्षित है तो ऐसे भी विनियामक से कंपनी द्वारा ऐसे उद्देश्यों की प्राप्ति से पहले, यथास्थिति रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा और कंपनी के निगमन के समय इस निमित्त घोषणा प्रस्तुत की जाएगी।";

(ख) नियम 24 का लोप किया जाएगा;

(ग) उपाबंध में,-

(i) प्ररूप संख्या आईएनसी-13 और आईएनसी-16 के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप आईएनसी-13 और आईएनसी-16 रखे जाएंगे, अर्थात् -

"फॉर्म सं. आईएनसी-13

संगम ज्ञापन

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 19(2) देखें]

1. कम्पनी का नाम है "................................." ।
2. कम्पनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .... राज्य में स्थित होगा ।
3. कम्पनी जिन उद्देश्यों के लिए स्थापित की गई है वे निम्नलिखित हैं :

   ....

   ....

   उपर्युक्त उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे सभी विधिपूर्ण कार्य करना :

   परंतु यह कि कम्पनी अपनी निधि से अथवा प्रयासों से किसी ऐसे विनियम अथवा प्रतिबंध को इसके सदस्यों अथवा अन्यों पर अधिरोपित करने अथवा उनके द्वारा उपारत किए जाने का प्रबंध करने का समर्थन नहीं करेगी जो कम्पनी के एक उद्देश्य के रूप में इसे एक ट्रेड यूनियन बना दे ।
4. कम्पनी का उद्देश्य .... की विस्तार तक हैं ।

   [यहां राज्य अथवा राज्यों और देश अथवा देशों के नाम प्रविष्ट करें]
5. (i) कम्पनी को कोई लाभ, यदि कोई हो, अथवा अन्य आय और सम्पत्ति, जब भी प्राप्त हो, केवल इस ज्ञापन-पत्र में बताए गए उद्देश्यों के संवर्धन के लिए प्रयोग की जाएगी ।

   (ii) उपर्युक्त लाभ, अन्य आय अथवा सम्पत्ति का कोई हिस्सा किसी भी समय कम्पनी के सदस्य रह चुके व्यक्तियों अथवा किसी एक अथवा एक से अधिक व्यक्तियों को अथवा किसी एक अथवा एक से अधिक व्यक्तियों के माध्यम से दावा करने वाले किन्हीं व्यक्तियों को लाभांश, बोनस अथवा लाभ के माध्यम से अन्यथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संदत्त अथवा अंतरित नहीं किया जाएगा ।

   (iii) कम्पनी द्वारा इसके किसी सदस्य, चाहे वह कम्पनी का अधिकारी अथवा सदस्य हो अथवा नहीं, को जेबी खर्च, उधार ली गई राशि पर तर्कसंगत और उचित ब्याज, अथवा कम्पनी द्वारा किराये पर लिए गए भवनों के लिए तर्कसंगत और उचित किराये को छोड़ कर रुपये-पैसे अथवा रुपये-पैसे के मूल्य में कोई पारिश्रमिक अथवा अन्य लाभ नहीं दिया जाएगा ।

   (iv) इस खंड में कि कोई बात कम्पनी को वास्तव में दी गई किन्हीं सेवाओं के बदले कम्पनी द्वारा इसके किसी अधिकारियों अथवा कर्मचारियों (सदस्य न रहते हुए) अथवा किसी अन्य व्यक्ति (सदस्य न रहते हुए) को सदभावना में विवेकपूर्ण पारिश्रमिक देने से नहीं रोकेगा ।

   (v) खंड (iii) और (iv) में कि कोई बात कम्पनी के किसी सदस्य द्वारा कम्पनी को वास्तव में दी गई किन्हीं सेवाओं (जो एक सदस्य द्वारा दी जाने वाली अपेक्षित सेवाएं वस्तु के रूप में न हों) के बदले कम्पनी द्वारा सद्भावना से विवेकपूर्ण पारिश्रमिक देने से नहीं रोकेगी ।

6. इस संबद्धता के ज्ञापन में अथवा तत्समय प्रवृत्त कम्पनी की संबद्धता के अनुच्छेदों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक कि यह परिवर्तन पूर्व में रजिस्ट्रार को प्रस्तुत न किया गया हो और रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित न किया गया हो ।

7. सदस्यों का दायित्व सीमित है ।

8. [गारंटी द्वारा लिमिटेड कम्पनियों के लिए]
प्रत्येक सदस्य, सदस्य रहते हुए अथवा उसके बाद एक वर्ष के अंदर कम्पनी के परिसमापन की स्थिति में उसके सदस्य रहते हुए कम्पनी द्वारा किए गए करारों के संबंध में ऋण अथवा दायित्वों के संदाय और परिसमापन की लागत, प्रभार अथवा व्यय और आवश्यकतानुसार अंशदाताओं के बीच अधिकारों के समायोजन के लिए .... तक की राशि के रूप में कम्पनी की आस्तियों में अंशदान देने का वचन देता है ।
[शेयर से लिमिटेड कम्पनियों के लिए]
कम्पनी की शेयर पूँजी .... रुपये होगी जो प्रत्येक शेयर के लिए .... रुपये के .... शेयरों में विभाजित की जाएगी ।

9. (1) कम्पनी को प्राप्त होने वाली और कम्पनी द्वारा व्यय की जाने वाली सभी राशियों और ऐसे मामलों जिनके संबंध में ऐसी रसीदें अथवा व्यय होते हैं और कम्पनी की सम्पत्ति, ऋण अथवा दायित्वों का सही-सही लेखा रखा जाएगा; और, तत्समय प्रवृत्त कम्पनी के विनियमों के अनुसार निरीक्षण के समय एवं रीति के संबंध में लगाए गए किसी युक्तियुक्त निर्बंध के अध्यधीन लेखे सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे ।
(2) कम से कम वर्ष में एक बार कम्पनी के लेखों का परीक्षण किया जाएगा और समुचित रूप से अर्हित लेखापरीक्षक अथवा लेखापरीक्षकों द्वारा तुलन-पत्र एवं आय तथा व्यय लेखों की शुद्धता अधिनिश्चित की जाएगी ।

10. **यदि कम्पनी का परिसमापन किए अथवा इसका विघटन किए जाने पर सभी ऋण एवं दायित्व चुकाने के बाद कोई सम्पत्ति बचती है तो यह कम्पनी के सदस्यों के बीच नहीं बांटी जाएगी बल्कि अधिकरण द्वारा अधिरोपित शर्तों के अध्यधीन इस कम्पनी के समान उद्देश्यों वाली किसी और कम्पनी को दे दी जाएगी अथवा अंतरित कर दी जाएगी अथवा विक्रय कर दी जाएगी और इससे मिलने वाली राशि इस अधिनियम की धारा 269 के अधीन गठित पुनर्वास एवं दिवालियापन कोष को दे दी जाएगी ।

11. **इस कम्पनी को केवल अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत और समान उद्देश्यों वाली किसी अन्य कम्पनी के साथ समामेलन किया जा सकेगा ।

12. हम, विभिन्न व्यक्ति जिनके नाम, पते, विवरण और व्यवसाय नीचे दर्शाए गए हैं, लाभ के लिए नहीं बल्कि इस संबद्धता ज्ञापन के अनुसरण में एक कम्पनी के रूप में संगठित होने के इच्छुक हैं :
अभिदाताओं के नाम, पते, विवरण और व्यवसाय :
1. .... का .... *
2. .... का .... *
3. .... का .... *

4. .... का .... *

5. .... का .... *

6. .... का .... *

7. .... का .... *

उपर्युक्त हस्ताक्षरों के गवाह :

1. ....

2. ....

तारीख ...., 20..... का .... दिन

* यदि संगठन शेयर से लिमिटेड कम्पनी है तो यहां प्रत्येक अभिदाता द्वारा लिए गए "शेयरों की संख्या" प्रविष्ट करें ।

"टिप्पण: धारा 8 कंपनी जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(22ककक) के साथ पठित ईलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम, 2013 के अनुसार ईलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनी है, ईलेक्टोरल ट्रस्ट के उद्देश्य वाली किसी अन्य धारा 8 कंपनी के साथ समामेलन कर सकती है या स्कीम के अधीन अपने सभी फंड वितरित करने के बाद परिसमापन या विघटन कर सकती है।";

"प्ररूप संख्या आईएनसी -16

कम्पनी अधिनियम,2013 की धारा 8(1) के अधीन जारी अनुज्ञप्ति

(कम्पनी (निगमन) नियम,2004 के नियम 20 को देखिए)

मुझे समाधानप्रद रूप से यह साबित है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन, अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट प्रकृति के उद्देश्यों का संवर्धन करने के लिए रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाला कोई व्यक्ति .... या व्यक्तिओं का संगम, और यह भी कि वह अपने लाभों, यदि कोई हो, या अपने उद्देश्यों का संवर्धन करने में किसी अन्य आय और सम्पत्ति का उपयोजन करेगा तथा अपने सदस्यों को किसी लाभांश का भुगतान का प्रतिषेध करेगा,

मैं रजिस्ट्रार ...., उक्त अधिनियम की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देते हुए यह अनुज्ञप्ति प्रदान करता हूँ कि उक्त व्यक्ति या संगम या व्यक्तियों को सीमित दायित्व की कंपनी के रूप में इनके नाम के साथ "लिमिटेड" या "प्राइवेट लिमिटेड', जैसा भी मामला हो, शब्द जोड़े बिना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए कम्पनी के रुप में रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, अर्थात्:

(1) यह कि उक्त कम्पनी के सभी विषयों के बारे में अपने संगम ज्ञापन में अंतर्विष्ट शर्तों और उपबंधों के अध्यधीन रहेगी और उसे शासित होगी,

(2) यह कि उक्त कम्पनी के लाभ, यदि कोई हो, और अन्य आय और सम्पत्ति, जब भी प्राप्त होता है, उसका उपयोग संगम ज्ञापन में यथाघोषित उद्देश्य का संवर्धन करने मात्र में ही किया जाएगा और यह कि उसके किसी भाग को ऐसे किसी व्यक्ति, जो उक्त कम्पनी का सदस्य है या किसी भी समय सदस्य रह चुका है, या उनमें से किसी एक या ऐसे किसी व्यक्ति को जो उनमें से एक या एक या उनके द्वारा दावा करने वाले किसी व्यक्ति को लाभांश, बोनस, या लाभ के रुप में या अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से संदत्त या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा,

(3) यह कि जेबी खर्च, ऋण राशि पर युक्तियुक्त और सही ब्याज, या कम्पनी के लिए किराए पर लिए गए परिसर के लिए युक्तियुक्त और सही किराए के भुगतान को छोड़ कर कम्पनी द्वारा अपने किसी सदस्य को धन या धन के मूल्य के रुप में कोई पारिश्रमिक या लाभ नहीं दिया जाएगा,

(4) यह कि इस खण्ड की कोई बात कम्पनी को वास्तव में दी गई किसी भी सेवा के बदले कम्पनी द्वारा अपने अधिकारियों या सेवकों (जो सदस्य न हों) या किसी अन्य व्यक्ति (जो सदस्य न हो) को विवेकपूर्ण पारिश्रमिक देने से नहीं रोकती है,

(5) कि खण्ड (3), खंड (4) और खंड (5) की कोई बात, कम्पनी को वास्तव में दी गई किसी भी सेवा (जो कि सदस्य द्वारा दी जाने वाली सेवा की अपेक्षा वाली सेवा न हो) के बदले कम्पनी द्वारा अपने किसी भी सदस्य को सद्भाव से विवेकपूर्ण पारिश्रमिक देने से नहीं रोकती है,

(6) कि कम्पनी के संगम ज्ञापन या संगम अनुच्छेदों, जो तत्समय प्रवृत्त हैं, में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे परिवर्तन को रजिस्ट्रार को पहले भेजा न गया हो और उसके द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो,

*(7) कम्पनी को, अधिनियम की धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत और समान उद्देश्यों वाली किसी अन्य कम्पनी के साथ ही समामेलित किया जा सकता है, और

(8) यह कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अनुज्ञप्ति का तब प्रतिसंहरण किया जाएगा जब कंपनी निम्न में से कार्रवाई करती है।

(क) जब वह अधिनियम की धारा 8 की किन्हीं अपेक्षाओं या उसके अधीन बनाए गए नियमों या अनुज्ञप्ति जारी करने संबंधी किसी शर्त, जिसके अधीन अनुज्ञप्ति जारी किया गया है, का उल्लंघन करती है,

(ख) यदि कम्पनी के कार्य कपटपूर्ण रीति से या ऐसी रीति से जो कंपनी के उद्देश्यों के अतिक्रमण में है या लोकहित के प्रतिकूल है संचालित किया जा रहा है।

....

पंजीयक

तारीख : .... 20.......

*टिप्पण: धारा 8 कंपनी जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(22ककक) के साथ पठित ईलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम, 2013 के अनुसार ईलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनी है, ईलेक्टोरल ट्रस्ट के उद्देश्य वाली किसी अन्य धारा 8 कंपनी के साथ समामेलन कर सकती है या स्कीम के अधीन अपने सभी फंड वितरित करने के बाद परिसमापन या विघटन कर सकती है।";

(ii) प्ररुप आईएनसी 21 का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. 1/13/2013-सीएल-V]

अमरदीप 29/05/2018

(अमरदीप सिंह भाटिया)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण - मूल नियम सा.का.नि. 250(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे इसमें सा.का.नि. (अ) तारीख 01 मई, 2015 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किया गया था।